विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-31 का उत्तर।

31-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि पत्रांक संख्याः 15192/सभा0वि0प0 दिनांक 24.10.2024 एवं पत्रांक संख्याः 15692/सभा0वि0प0 दिनांक 08.01.2025 जो कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर कार्यवाही की माँग की गयी है?	आवेदक श्री नाजिर खॉन पुत्र इनायत खॉ निवासी ग्राम लोहागढ़ थाना समथर जिला झांसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 18.01.2024 को श्रीमती गुड्डो, रूबी, ताज मोहम्मद काजी एवं रहीस खॉ के विरूद्ध थाना समथर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-9/2024 धारा-380 आईपीसी की विवेचना थानाध्यक्ष समथर द्वारा किये जाने व विपक्षियों से मिली भगत होने के कारण वादी द्वारा जो भी साक्ष्य दिये जा रहे, वह जॉच में शामिल न किये जाने, अपराधियों पर कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण प्रकरण की उच्चस्तरीय जॉच कराकर अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कराकर अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
(ग) उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?	मुकदमा उपरोक्त की 02 बार विवेचना पूर्ण करायी गयी। वादी के अनुरोध पर विवेचना थाना समथर से थाना गरौठा स्थानान्तरित की गयी। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण झांसी के पर्यवेक्षण में विवेचना कार्यवाही प्रचलित है।
(घ) उक्त पत्र पर कृत कार्यवाही की सूचना शासन के संसदीय विभाग द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुपालन में कब अवगत करायी गयी है ?	अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर के पत्र दिनांक 20.02.2025 द्वारा आख्या श्री धर्मेन्द्र सिंह, निजी सचिव, मा0 सभापति विधान भवन लखनऊ को प्रेषित की गयी है।
(ङ) यदि नहीं, तो शासन के संसदीय प्रोटोकॉल के निर्देश को अनुपालन न करने का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही करायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।